वर्ष 4, संख्या 101

रु. 1/-

राष्ट्र महिला

दिसम्बर 2007

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

संसद तथा राज्य विधान सभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक लम्बे अरसे से विचाराधीन आरक्षण विधेयक को पास कराने की रणनीत तैयार करने के प्रयोजन से एक बार फिर विचार-विमर्श सत्र का आयोजन किया।

तथ्य यह है कि प्रधान मंत्री द्वारा बार-बार दिए जाने वाले अश्वासनों और सभी राजनीतिक दलों की चिकनी-चुपड़ी बातों के बावजूद, महिला आरक्षण विधेयक अभी तक सदन में इसलिए प्रस्तुत नहीं किया गया है कि इस पर राजनीतिक दलों में मतैक्य नहीं बन पाया।

किन्तु यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी राजनीतिक दल इस विधेयक को पारित कराने को उत्सुक नहीं है और संसद का पुरुषवर्ग अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए सदा पीछे हट जायेगा। यदि तीन प्रमुख दल-कांग्रेस, बीजेपी और वाम पंथी - परस्पर सहमत हो जाते तो बहुत पहले ही यह विधेयक पास हो जाता।

ये तीनों दल मिलाकर सदन में दो-तिहाई बहुमत बन जाता है जिससे कोई भी विधेयक पास किया जा सकता है तथा किसी अन्य दल के समर्थन की आवश्यकता नहीं है।

वास्तव में यह बड़े शर्म की बात है कि देश की जनसंख्या का लगभग 50 प्रतिशत होते हुए भी केवल 10 प्रतिशत महिलाएं ही निर्वाचित राष्ट्रीय प्रतिनिधि हैं - लोकसभा के 542 स्थानों में महज 45 महिलाएं हैं। राज्य सभा में भी, जहां सदस्यों की नियुक्ति की

चर्चा में महिला आरक्षण विधेयक

जाती है और इसलिए सुगमता से देश के बड़े तबके का प्रतिनिधित्व वहां हो सकता है, 242 स्थानों में से केवल 28 स्थानों पर महिलाएं है।

अब तक, विधि मंत्रालय ने विधेयक के दो मसौदे तैयार किए हैं। पहले में, ससंद के दोनों सदनों की वर्तमान संख्या का 33.3 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। दूसरे में, दोनों सदनों की संख्या में 33.3 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने का प्रावधान है। किन्तु दोनों में से एक पर भी सहमति नहीं बन पाई है।

विचार-विमर्श सत्र में महिला सांसदों तथा महिला संगठनों ने भाग लिया। इससे निकले मुख्य निष्कर्ष हैं : स्थानों का परिक्रमण, उनकी संख्या में 33.3 प्रतिशत की वृद्धि, उप-कोटा और द्विसदस्यीय स्थानों का प्रावधान, राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को 33 प्रतिशत स्थानों पर टिकट देना और लोक सभा से भी पहले राज्यों की विधान सभाओं में कोटा निर्धारित किया जाना।

विधेयक गत दस वर्ष से लम्बित है, बावजूद इसके कि ऐसा आरक्षण पंचायत स्तर पर मौजूद है। पंचायती राज ने दिखा दिया है कि अवसर मिलने पर महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा बेहतर प्रशासक, कम भ्रष्ट तथा अधिक सक्षम साबित हो सकती हैं।

इसलिए, बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सरकार पर जोर डाला जाये कि आगामी बजट सत्र में इस विधेयक को पेश करे और उस पर चर्चा कराये। इसी बीच, संसद सदस्य तथा महिला संगठन विभिन्न राजनीतिक दलों से मिल कर इस बात का प्रयत्न करें कि वे विधेयक पर मतैक्य बनाएं ताकि यह पास हो सके। निस्संदेह, ऐसा अधिनियम न केवल भारत की निर्वाचन राजनीति में क्रांति ला देगा अपितु राजनीति में सदियों से चली आयी महिला-विभेदी प्रथा का अंत कर सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत भी बनेगा।

महिला आरक्षण विधेयक पर विचार-विमर्श सत्र में (बांये से) सुश्री जया जेटली, सुश्री सुमित्रा महाजन, सुश्री बिन्द्रा करात, डा. गिरिजा व्यास, सुश्री मार्ग्रेट आल्वा, डा. मोहिनी गिरि, डा. रंजना कुमारी

ग्राहको को दंड देने के प्रावधान का विरोध

अनैतिक व्यापार निरोध अधिनियम में प्रस्तावित इस संशोधन का स्वास्थ्य मंत्रालय ने विरोध किया है कि ग्राहकों के लिए भी 6 मास तक की सज़ा और 5,000 रू. तक जुर्माने का प्रावधान किया जाये। मंत्रालय के अनुसार, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित अनैतिक व्यापार निरोध (संशोधन) विधेयक में ऐसे लोगों की सज़ा बढ़ाने का सुझाव दिया गया था जो सेक्स के प्रयोजन से अनैतिक मानव व्यापार करते हैं और ग्राहकों को भी अपराधी माना गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय तथा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन का तर्क था कि यदि ग्राहकों को दंडित किया गया तो चोरी-छुपे सेक्स कर्म को बढ़ावा मिलेगा जिससे कि एड्स निवारण कार्यक्रम में बाधा आयेगी।

इस समय ग्राहक इस अधिनियम की ज़द में नहीं आते। प्रस्तावित अधिनियम में ग्राहक की परिभाषा में वह व्यक्ति आता है जो किसी वेश्यालय में जाता है या वहां मौजूद हो। गैर सरकारी संगठनों ने भी इस आधार पर इसका विरोध किया है कि नये संशोधन होने पर सेक्स कृत्य चोरी-छुपे होगा और ग्राहकों का अपराधीकरण हो जायेगा।

राष्ट्रीय महिला आयोग का हस्तक्षेप

राष्ट्रीय महिला आयोग ने उस महिला का मामला अपने हाथ मे लिया जिसका सामूहिक बलात्कार उसके पति द्वारा भाड़े पर लिए गुंडों द्वारा किया गया था। आयोग ने गौतम बुद्ध नगर पुलिस थाने से एक दर्जन आरोपियों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करने को कहा है। दो लाख रु. का दहेज न मिलने पर दादरी की रहने वाली एक महिला का बार-बार बलात्कार किया गया। एस्कोर्ट कोलोनी के एक मकान में बंधक रखकर पंद्रह दिन तक उसके पति ने उसे बलात्कार का शिकार बनाया।

6 मास पूर्व उसके पति ने अपने रिश्तेदारों तथा दोस्तों से मिलकर उसके बलात्कार का षड्यंत्र रचा। लगभग 6 मास तक उत्पीड़ित किए जाने के बाद उसे एस्कोर्ट कोलोनी के एक मकान में लाया गया जहां फिर उसका उत्पीड़न किया गया।

30 प्रतिशत छात्रवृत्रियां पिछड़े वर्गो की लड़कियों के लिए आरक्षित

सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी स्कूल छात्रवृत्तियों का 30 प्रतिशत भाग अल्पजाति, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए आरक्षित किया जायेगा। छात्रवृत्तियां देने में, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को वरीयता दी जायेगी।

छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए दो लाख रु. प्रति वर्ष से अनधिक आय और पूर्ववर्ती परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक का मानदंड रखा गया है। सबसे कम आय वालों को सर्वोपरि प्राथमिकता देते हुए बढ़ती हुई आय-क्रम के अनुसार छात्रवृत्तियां दी जायेंगी।

गरीबी की रेखा से नीचे वाले परिवारों को वरीयता दी जायेगी। एक परिवार में दो से अधिक छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। किन्तु, अपवादस्वरूप परिस्थितियों वाले मामलों को छोड़कर, एक संस्था से दूसरी में विद्यार्थी के पलायन की अनुमति सरकार नहीं देगी।

छात्रवृत्ति उन विद्यार्थियों को दी जायेगी जो सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूलों या कालिजों में पढ़ रहे हैं। इसमें आवासी स्कूल तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी संस्थाएं भी शामिल हैं। प्रचलित पाठक्रमों के लिए वार्षिक छात्रवृत्ति की राशि 7000 रु. होगी और तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठयक्रमों के लिए 1000 रु.। पुस्तकें खरीदने के लिए भी विद्यार्थियों को कुछ पैसा दिया जायेगा।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की केन्द्रीय मंत्री श्रीमती रेणुका चौधरी ने प्रगति मैदान की प्रदर्शिनी में राष्ट्रीय महिला आयोग के ''शैटर्ड लाइव्स'' (ध्वस्त जीवन) शीर्षक अध्ययन पुस्तक का विमोचन किया। यह अध्ययन हिरासती महिलाओं पर है।

डा. गिरिजा व्यास (दायें) पुस्तक प्रस्तुत करते हुए। मंत्रालय के सचिव श्री अनिल कुमार बांयी ओर

विधि आयोग दहेज मृत्यु के मामलों में मृत्यु-दंड के विरुद्ध

विधि आयोग ने सरकार से सिफारिश की है कि दहेज-मृत्यु के मामलों में मृत्यु-दंड का प्रावधान न किया जाये। किन्तु ऐसे मामलों के लिए इस आयोग ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख के अंतर्गत उपबंधित 7 वर्ष के कारावास को बढ़ा कर 10 वर्ष किए जाने का पक्षपोषण किया है।

विधि आयोग ने कहा है : ''हत्या का अपराध वही बात नहीं है जो दहेज-मृत्यु का अपराध। यद्यपि दुल्हन की मृत्यु दोनों अपराधों में समान तत्व है, तथापि मृत्यु तथा पति के बीच सीधा संबंध न होने के कारण पत्नी की मृत्यु को हत्या के अपराध से भिन्न स्तर पर रखना चाहिए।''

किन्तु विधि आयोग ने कहा कि ऐसे मामले में जहां दहेज मृत्यु भी हत्या के दायरे में पड़ती हो, वहां मृत्यु-दंड की कानूनी अनुमति हो सकती है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने, जो अति के मामलों में मृत्यु-दंड चाहता था, दहेज-मृत्यु के दंड को 7 वर्ष से बढ़ा कर 10 वर्ष करने का स्वागत किया है।

क्या आप जानते हैं?

यूनेस्को की एक हाल की रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं की साक्षरता में भारत पश्चिम एशिया के सबसे पिछड़े पांच देशों में आता है। भारत में महिला साक्षरता 47.8 प्रतिशत है जो पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल तथा अफगानिस्तान जैसे देशों के साथ सबसे नीचे के पांच देशों में आती है।

रिपोर्ट में दिए गये 1995-2005 के बीच के आंकड़ों के अनुसार, बंगलादेश में महिला साक्षरता 40.8 प्रतिशत है, पाकिस्तान में 35.4 प्रतिशत है, नेपाल में 34.9 प्रतिशत है और अफगानिस्तान में मात्र 12.6 प्रतिशत है।

घरेलू हिंसा पर कार्यशाला

वीमेंस रिसोर्स एण्ड एडवोकेसी सेंटर, चंडीगढ़, और लॉयर्स कलेक्टिव के सहयोग में राष्ट्रीय महिला आयोग ने चंडीगढ़ में 'घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत महिलाओं की संरक्षा' विषय पर दो-दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की। इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम का उद्देश्य परिवारों को टूटने से बचाना है और इसके बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है।

उन्होने कहा कि अधिनियम की सफलता के बारे में इतना शीघ्र कुछ कहा पाना कठिन है। ''अधिनियम के लागू होने के बाद से 8000 मामले दर्ज किए गये हैं जिनमें सबसे अधिक 3444 मामले राजस्थान में और इसके बाद 1077 केरल में दर्ज हुए हैं। पंजाब में इसके बारे में कम जागरूकता है। चूंकि यह एक सिविल अधिनियम है, इसलिए इसमें परिवार के टूटने की संभावना कम है। पति-पत्नी को मंत्रणा दी जाती है।

गैर निवासी भारतीयों के बारे में उन्होंने कहा कि लड़कियों का शोषण रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है और भारत सरकार को अमेरिका, इंग्लैड तथा कनाडा के साथ करार पर हस्ताक्षर करने चाहिए जिससे कि लड़कियों के अधिकारों की रक्षा करने की लड़ाई सरल हो सके। उन्होंने बताया कि विवाह के पश्चात गैर निवासी भारतीयों द्वारा छोड़ दी जाने वाली लड़कियों की सहायता के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारत सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं। इन पर प्रकाश डालते हुए डा. व्यास ने कहा कि ''विशेषकर अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा में अभिकरण स्थापित किए जाने चाहिए जहां से कि माता-पिता दूल्हों के बारे में पूछताछ कर सकें। दूतावासों के पास विवाहित जोड़ों की सूची होनी चाहिए और उन्हें लड़कियों के कुशल-क्षेम की बराबर मालूमात करते रहना चाहिए। पासपोर्टों पर अंगुलियों की छाप होनी चाहिए। नव-विवाहित लड़कियों को वरीयता के आधार पर वीसा दिया जाना चाहिए।

महिला सांसदों तथा मंत्रियों का पांचवा एशियाई सम्मेलन

आयोग की अध्यक्षा डा. गिरिजा व्यास महिला सांसदों तथा मंत्रियों के पांचवे एशियाई सम्मेलन में प्रमुख भाषण देने के लिए चीन की राजधानी बीजिंग गयीं। उनके संबोधन का विषय था: 'इस क्षेत्र में महिलाओं के प्रति हिंसा और महिलाओं एवं लड़कियों का अनैतिक व्यापार-शिक्षा के माध्यम से स्थिति परिवर्तन।'

बाद में, समाज के सदस्यों तथा विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों के साथ उनकी एक संबोधन बैठक हुई। उन्होंने चीन में भारतीय राजदूत सुश्री निरुपमा राय तथा शंघाई में कौंसल जनरल श्री विष्णु प्रकाश के साथ महिलाओं के प्रति हिंसा संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा की।

डा. गिरिजा व्यास (सबसे ऊपर) सेमिनार में और (नीचे) अन्य प्रतिनिधियों के साथ

महत्वपूर्ण निर्णय

- **पहली पत्नी को तलाक न दिए जाने पर भी दूसरी पत्नी को उच्च न्यायालय द्वारा राहत प्रदान :** दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी विवाहित पुरुष से, जिसने अपनी पहली पत्नी को कानूनी तलाक नहीं दिया, विवाह करने वाली महिला अपने पति से भरण-पोषण पाने की हकदार है। हाल ही में दिए गये एक निर्णय में न्यायालय ने कहा : ''ऐसी महिला को वे सभी लाभ मिलने चाहिए जिनकी हकदार हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाहित पत्नी होती है।
- **18 वर्ष से ऊपर आयु की लड़की को किसी के साथ फरार हो जाने का अधिकार है। : उच्चतम न्यायालय :** अपने एक न्याय निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यदि कोई लड़की 18 वर्ष की कानूनी आयु प्राप्त कर लेने पर अपनी मर्जी से किसी पुरुष के साथ विवाह करने के प्रयोजन से भाग जाये तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। जहां तक विवाह-योग्य लड़कियों के माता-पिता का प्रश्न है, वे अपनी 18 वर्ष की आयु-प्राप्त पुत्रियों को डरा-धमका कर गैर-कानूनी बंधन में नहीं रख सकते।
- **प्रसव के तीन मास पूर्व मातृत्व लाभ सुनिश्चित किया जाये : उच्चतम न्यायालय :** केन्द्र सरकार को यह निर्देश देते हुए कि राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना को केन्द्र तथा राज्य सरकारें जारी रखें, उच्चतम न्यायालय ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि प्रसव से 8-12 सप्ताह पूर्व गर्भवती महिलाओं को नकद सहायता प्रदान की जाये। न्यायालय ने केन्द्र से यह आवश्वस्त करने को भी कहा कि इस योजना के अंतर्गत निर्धारित राशि का उपयोग अन्यथा न किया जाये।

राष्ट्रीय महिला आयोग का दल नंदीग्राम गया

राष्ट्रीय महिला आयोग के एक चार-सदस्यीय दल ने नंदीग्राम के एक राहत शिविर का दौरा किया और प्रभावित क्षेत्रों की महिलाओं से बात की जिन्होंने अपनी परेशानियां बयान कीं।

सदस्या मालिनी भट्टाचार्य, नीवा कंवर तथा अन्य ने अपना दौरा नंदीग्राम पुलिस थाने में अस्थायी रूप से स्थापित एक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्यालय से प्रारंभ किया और सही बात जानने के लिए इस अर्ध-सैनिक बल के डीआईजी से बात की।

तत्पश्चात आयोग के सदस्यों का दल ब्रजमोहन तिवारी शिक्षायतन स्थित शिविर में गया और उन महिलाओं से बात की जिनके पति पूर्ववर्ती उपद्रवों में मारे गये थे या हाल की हिंसा के बाद लापता थे।

सदस्यों के दौरे

- सदस्या मालिनी भट्टाचार्य कोलकता में अखिल बंगाल महिला संघ में गयीं जहां पर कि बहुत सी छुड़ाई गयी लड़कियां रह रही हैं जिनमें उत्तर 24 परगना की जयंती बाला दास और फारबेसगंज, बिहार की नैना खातून भी हैं। इन दोनों मामलों पर राष्ट्रीय महिला आयोग निगरानी रख रहा है। छुड़ाई गयी अन्य लड़कियों की समस्याओं पर भी विचार किया गया और समाज कल्याण मंत्री को इस बारे में एक पत्र लिखने का निर्णय लिया गया। बाद में वह ठाकुरपुर में आयोजित पंचायतों से आयी महिलाओं की एक बैठक में गयीं। सुश्री भट्टाचार्य तामलुक भी गयीं जहां उन्होंने नंदीग्राम की एक महिला के बलात्कार के मामले पर जिलाधीश तथा एसपी से चर्चा की। उन्होंने दक्षिण 24 परगना में 'सेवाक' द्वारा सोमाली में चलाए जा रहे एक अल्प-निवास आश्रम-गृह का मुआयना भी किया। यहां लगभग 25 रोगी थे और उनके उपचार के अतिरिक्त उन्हें विभिन्न उत्पादनकारी तथा सांस्कृतिक कार्यों में भागीदार भी बनाया जाता था। कोलकाता में सुश्री भट्टाचार्य राज्य के विधि मंत्री से मिलीं और पश्चिम बंगाल में विवाहों के अनिवार्य पंजीकरण में हुयी प्रगति के मुद्दे पर चर्चा की। बैठक में राज्य की महिला आयोग की अध्यक्षा तथा सदस्याएं भी उनके साथ थीं। मंत्री ने उन्हें बताया कि इस संबंध में राज्य के वर्तमान कानून के अंतर्गत निर्मित नियमों में कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं जिसके बाद एक व्यापक विवाह अधिनियम लाया जायेगा। अगले दिन उन्होंने नादिया जिले के स्व-सहायी दलों के मुखियाओं की पांच-दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया।
- सदस्या नीवा कंवर ने सिवसागर में एक स्थानीय गैर सरकारी संगठन 'सप्तऋषि सर्किल' द्वारा आयोजित जागरूकता शिविर में भाग लिया जिसमें लगभग 500 लोगों की उपस्थिति थी। यहां उन्होंने घरेलू हिंसा अधिनियम और सूचना-प्राप्ति अधिकार अधिनियम पर प्रकाश डाला। बाद में वह गुवाहाटी में आयोजित स्व-सहासी दलों की एक बैठक को संबोधित करने गयीं। अपने भाषण में उन्होंने लघु ऋण योजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत अन्य योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक विकास की चर्चा की। नागालैंड में सुश्री कंवर ने महिलाओं पर एक राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लिया जिसका विषय था 'नयी दिशाएं'। उन्होंने नगा महिलाओं से अपील की कि वे महिलाओं के अधिकारों तथा उनके लिए उपलब्ध विभिन्न कल्याण योजनाओं के बारे में ग्रामीण महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करें। उन्होंने ''चलो गांव की ओर कार्यक्रम'' का समारंभ भी किया और ''मीरा दीदी से पूछो'' नामक पुस्तक का विमोचन किया।

सुश्री कंवर (बांये से तीसरी) सशक्तिकरण सेमिनार में

- सुश्री निर्मला वेंकटेश वासवनगुडी आईएनजी वैश्य फाइनेंशियल सर्विसज के कार्यालय गयीं जहां एक खुदरा एवं विक्रय दल की प्रमुख शैलजा प्रवीन द्वारा आत्महत्या कर ली गयी थी। वह बैंक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं थीं और मांग की कि उसकी आत्महत्या के जिम्मेवार आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया जाये। उन्होंने कहा कि बैंक के चैयरमैन तथा प्रबंध निदेशक को आगे पूछताछ के लिए आयोग में बुलाया जायेगा।

सुश्री वेंकटेश बैंक के कर्मचारियों से बात करते हुए

संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष रिपोर्टर तीन अन्य प्रतिनिधियों के साथ आयोग के कार्यालय में आये और आयोग की अध्यक्षा, सदस्यों तथा अधिकारियों के साथ हर व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का सर्वोच्च संभव उपभोग करने के अधिकार के विषय पर चर्चा की।

संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि मंडल आयोग की अध्यक्षा तथा सचिव के साथ चर्चा करते हुए

अग्रेतर सूचना के लिए देखें हमारा वेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4-दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सब-अर्बन प्रेस, 244/5, गली नं. 13, थान सिंह नगर, आनंद पर्वत, नई दिल्ली-110005 में मुद्रित। • सम्पादक : गौरी सेन